न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : राजेश कुमार नायक, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या : 118/2021
निर्णय दिनांक : 01/05/2022

उनवान

1. श्री मोदी शिक्षण संस्थान जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री ललित मोहन शर्मा पुत्र श्री मेघराज शर्मा
पता– टेक्नोलॉजी पार्क के पास, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर पता–बिडला मन्दिर के पास, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर पता– तहसील कार्यालय सांगानेर जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

आवेदन अंतर्गत धारा 251– क की उपधारा (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् भूमि के सिचाई हेतु पाईपलाईन डालने की अनुमति

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी फर्म खातेदार काश्तकार है और प्रार्थी फर्म की भूमि श्रीमान् के उपखण्ड में स्थित है तथा प्रार्थी फर्म की भूमि खसरा नम्बर 34 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 35 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 36/1 रकबा 0.4800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 37 रकबा 1.1780 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 41/1 रकबा 0.1120 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 44 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 45 रकबा 0.8600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 46 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 47 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 48 रकबा 0.5400 हैक्टेयर कुल किता 10 कुल रकबा 3.65 हैक्टेयर स्थित ग्राम पीपला भरत सिंह पटवार हल्का जयसिंहपुरा भू. अभि. नि. क्षेत्र भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में है, उक्त कृषि भूमि में सिंचाई व अन्य कार्य हेतु जल की आवश्यकता है तथा प्रार्थी की ही अन्य भूमि प्लाट नम्बर 11/IC(i)/87 स्थित रिंग रोड परियोजना, ग्राम पीपला भरतसिंह तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है, प्रार्थी फर्म अपनी कृषि भूमि के लिए अपने प्लाट में से जल के आवागमन के लिए सडक के किनारे पर जमीन के भीतर पाईप लाईन डालना चाहती है और इसलिए प्रार्थी फर्म राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का अधिनियम संख्या 03 की धारा 251–क की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन करती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:04:59 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक की धृति की विशिष्टियॉ :–

उपखण्ड के नाम सहित उस गॉव का नाम जहां भूमि स्थित है– ग्राम पीपला भरत सिंह पटवार हल्का जयसिंहपुरा भू. अभि. नि. क्षेत्र भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर खसरा नम्बर एकड/बीघा में क्षेत्रफल सहित–जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 की खसरा नम्बर 34 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 35 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 36/1 रकबा 0.4800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 37 रकबा 1.1780 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 41/1 रकबा 0.1120 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 44 रकबा

उप-खण्ड अधिकारी
ज०. द्वितीय

5, 2022, 18:43

0.0900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 45 रकवा 0.8600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 46 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 47 रकवा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 48 रकबा 0.5400 हैक्टेयर कुल किता 10 कुल रकवा 3.65 हैक्टेयर से प्रार्थी के प्लांट नम्बर 11/IC(i)/87 स्थित रिंग रोड परियोजना से प्रार्थी की कृषि भूमि तक आने वाली सड़क के किनारे पाईप लाईन डालने हेतु निवेदन किया।

अतिरिक्त प्रर्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त वर्णितानुसार आवेदन के द्वारा अपनी ही अन्य सम्पत्ति प्लांट नम्बर 11/IC(i)/87 स्थित रिंग रोड परियोजना ग्राम पीपला भरतसिहं तह0 सांगानेर जिला जयपुर से अपनी कृषि भूमि मे सिचाई व अन्य कार्य हेतु जल के प्रवाह हेतु मौजूदा सडक के किनारे पर जमीन के भीतर गाडकर पाईप लाईन डालने की आवश्यकता है जिसके लिए आवेदक नियमानुसार शुल्क/प्रतिकर संदाय करने हेतु तत्पर हैं आवेदक के पास अपनी कृषि भूमि में जल हेतु अन्य कोई संसाधन या विकल्प उपलब्ध नही है। इसलिये उक्त पाईप लाईन का डाला जाना नितांत आवश्यक है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या एक की ओर से बावजूद रजिस्टर नोटिस कोई उपस्थित नही । अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से जवाब मय मौका रिपोर्ट प्रस्तुत किया जो पत्रावली मे शामिल मिसल है। अप्रार्थी संख्या 2 पैरोकार सरकार कि ओर से पेश जवाब इस प्रकार है कि पटवारी हल्का जयसिंहपुरा द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट अनुसार आराजी खसरा नम्बर 34, 35, 36/1, 37, 41/1, 44, 45, 46, 47, 48 कु किता 10 कुल रकबा 3.65 हैक्टेयर ग्राम पीपला भरतसिहं तह0 सांगानेर जिला जयपुर की खातेदारी श्री मोदी शिक्षण संस्थान हिस्सा पूर्ण के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त संस्थान अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि से अपने प्लांट नम्बर 11/IC(i)/87 स्थित रिंग रोड परियोजना ग्राम पीपला भरतसिहं तह0 सांगानेर जिला जयपुर तक पाईप लाईन डालना चाहते है। उक्त खातेदारी भूमि एवं प्लाट के मध्य ग्राम पीपला भरतसिहं पटवार हल्का जयसिंहपुरा तह0 सांगानेर का खसरा नम्बर 233 स्थित है। जो मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी जयपुर विकास प्राधिकरण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है।

पत्रावली पर बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। प्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनने व पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी साक्ष्य तथा पेरोकार सरकार का जवाब एवं रिपोर्ट का अवलोकन करने के उपरान्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251– क की उपधारा (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम पीपला भरतसिहं पटवार हल्का जयसिंहपुरा तह0 सांगानेर स्थित खसरा नम्बर 233 में से प्रार्थी को सिचाई हेतु पाईप लाईन डालने की अनुमति प्रदान की जाती है। इस सम्बन्ध में सडक के किनारे जमीन के भीतर पाईप लाईन डालने में होने वाला समस्त व्यय प्रार्थी द्वारा वहन किया जावेगा तथा पाईप लाईन डालने के पश्चात् सडक की मरम्मत व अन्य रोड कट का खर्च प्रार्थी द्वारा वहन किया जावेगा। उक्त आदेश की पालना नियमानुसार राशि जमा कराये जाने प[illegible] सकेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01/08/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:34:59 IST
Reason: SelfAttested

(राजेश कुमार नायक)
आर.ए.एस.
उप–खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर)